उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1
संख्या–बी–1–019/दस–2002–91/2001

लखनऊ : दिनांक 14 जनवरी, 2002

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में स्थापित निगमों, उपक्रमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की स्वायत्तशासी संस्थाओं, निधियों संस्थानों द्वारा सरप्लस फण्ड्स के विनियोजन के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा अलग–अलग आदेश निर्गत किये गये हैं तथा इन शासनादेशों में आपस में एकरूपता भी नहीं है। अतः लोक धन (पब्लिक फण्ड्स) की सुरक्षा एवं सदुपयोग के साथ–साथ सरप्लस फण्ड्स के विनियोजन के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों में निवारणार्थ शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सरप्लस फण्ड्स के विनियोजन के संबंध में तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है :–

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त केवल सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में आदेश जारी करने के लिए अधिकृत होंगे और यह आदेश सहकारी संस्थाओं के धन अथवा निजी पूंजी जमा के सम्बन्ध में हो।

(2) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से ही भविष्य में आदेश जारी किये जाये जो सार्वजनिक उद्यमों की स्वयं की धनराशि के निवेश से संबंधित हों।

(3) वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश उन सभी संस्थाओं पर बाध्यकारी होंगे जहाँ पर राज्य सरकार से प्राप्त अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के समक्ष प्राप्त धनराशियों के निवेश की व्यवस्था हो तथा अन्य विभागों के आदेश यदि इसके विरोधात्मक हों तो वे इस सीमा तक प्रभावी नहीं होंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा उनकी सब्सिडियरी बैंकों एवं उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, लखनऊ सं भिन्न यदि किसी अन्य बैक में सरप्लस फण्ड्स का विनियोजन किया जाता है, तो न केवल सरप्लस फण्ड्स के विनियोजन के समय वरन् विनियोजन की सम्पूर्ण अवधि में निरन्तर प्रक्रिया के रूप में यह सुनिश्चित किया जाए कि सम्बन्धित बैंक, बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट की धारा–11 का प्रतिपालन करता हो, गत तीन वर्षों में प्रतिवप्र लाभ अर्जित किया हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधुनान्त निर्धारित पूंजी मानक (ब्ंचपजंस ।कमुनंबल छवतउे प्दअमेजउमदज ळतंकम) को भी पूरा करता हो। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिए सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

ए.पी. वर्मा
मुख्य सचिव।

संख्या :– बी–1–019(1)/दस–2002–91/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

आज्ञा से

डा. बी.एम.जोशी
सचिव, वित्त।